# राजस्थान सरकार
## परिवहन विभाग
### परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25 (01) परि/कम्प्यू./2012/6791 जयपुर, दिनांकः 24/4/2015

**कार्यालय आदेश संख्या 12/2015**

**विषयः– सर्वर पर उपलब्ध डेटा के बैकअप के संबंध में ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय में वाहन पंजीयन एवं चालक लाईसेंस जारी करने हेतु क्रमशः 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। इस कार्य हेतु आपके कार्यालय में स्थापित सर्वर पर उपलब्ध 'वाहन' एवं 'सारथी' के बहुमूल्य डेटा के बैकअप के लिये मुख्यालय में आयोजित किये गये प्रशिक्षण के दौरान एवं समय–समय पर पत्रों द्वारा भी निर्देश जारी किये जाते रहे हैं, परन्तु कुछ कार्यालयों का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि उनके द्वारा प्रतिदिन बैकअप नहीं लिया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के डेटा का बैकअप लेना सुनिश्चित करें। जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित जिला परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उनके कार्यालय में पदस्थापित सूचना सहायकों में से किसी एक को इस कार्य हेतु अधिकृत कर प्रतिदिन यह सुनिश्चित करे कि सूचना सहायक द्वारा 'वाहन' एवं 'सारथी' दोनों डेटाबेस का बैकअप लिया गया है तथा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पदस्थापित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने कार्यालय में उनके यहाँ पदस्थापित सूचना सहायक को इस हेतु आवश्यक रूप से अधिकृत करेगें। सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी स्वयं के एवं अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों में प्रतिदिन बैकअप लिया जा रहा है।

बैकअप लेने के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. प्रतिदिन कार्यसमाप्ति के उपरान्त 'वाहन' एवं 'सारथी' के डेटा का बैकअप लिया जाये।
2. बैकअप सर्वर के स्थान पर अन्य किसी PC पर लिया जाये, जो कि सर्वर रूम में स्थापित ना हो।

3. प्रतिमाह 'वाहन' एवं 'सारथी' का बैकअप DVD पर राईट कर DVD जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराना।
4. जिला परिवहन अधिकारी उक्त बैकअप कि DVD को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा या अन्य समस्या आने के उपरान्त भी डेटा के बैकअप की प्रति सुरक्षित उपलब्ध रहे।

बैकअप के आभाव में अगर loss of data होता है तो इसके लिये सम्बंधित सूचना सहायक व्यक्तिगत रूप से एवं सम्बंधित अधिकारी पर्यवेक्षणीय लापरवाही हेतु दोषी होगा। इस सम्बंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की अनुपालना में विभिन्न सूचना सहायक को उक्त उत्तरदायित्व संभालने सम्बंधी आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवायेगें। आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 25 (01) परि/कम्प्यू./12/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)



D:\SA\SA_UO_NOTE_2013(1)